रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232717
CG-DL-E-18012022-232717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 24] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 24(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (1 ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में नियम 8कग के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8कघ धारा 45 की उपधारा (1ख) के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत अभिलाभ की संगणना–(1) जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय विनिर्दिष्ट यूनिट बीमा पॉलिसी के अधीन कोई रकम प्राप्त करता है, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के माध्यम से आबंटित रकम सम्मलित है, तब, -

(i) जहां पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट यूनिट बीमा पॉलिसी के अधीन पहली बार रकम प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान ऐसी रकम की प्राप्ति से उद्भूत होने वाले पूंजीगत अभिलाभ की संगणना सूत्र के अनुसार की जाएगी:-

क-ख

जहां, -

क = पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट यूनिट बीमा पॉलिसी के अधीन पहली बार प्राप्त रकम, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के माध्यम से आबंटित रकम सम्मिलित है; तथा

ख = विनिर्दिष्ट यूनिट बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान 'क' में यथानिर्दिष्ट रकम की प्राप्ति की तारीख तक संदत्त किए गए प्रीमियम का योग;

(ii) जहां पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट यूनिट बीमा पॉलिसी के अधीन रकम प्राप्त होती है, किसी भी समय खंड (i) में यथानिर्दिष्ट रकम की प्राप्ति के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी रकम की प्राप्ति से उद्भूत पूंजीगत अभिलाभ पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें ऐसी रकम प्राप्त हुई है, सूत्र के अनुसार संगणना की जाएगी, -

ग-घ

जहां, -

ग = पूर्व वर्ष के दौरान एक विनिर्दिष्ट यूनिट बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त रकम, खंड (i) में यथानिर्दिष्ट रकम की प्राप्ति के पश्चात् किसी समय, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के माध्यम से आबंटित रकम सम्मिलित है, उस रकम को छोड़कर पूर्वतम पूर्व वर्ष या वर्षों के दौरान इस उप-नियम के अधीन कराधेय रकम की संगणना के लिए पहले ही विचार किया गया है; तथा

घ = विनिर्दिष्ट यूनिट बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान संदत्त किए गए प्रीमियम का कुल योग, जैसा कि 'ग' में यथानिर्दिष्ट रकम की प्राप्ति की तारीख तक प्रीमियम से घटाया गया है जिसे पूर्वतम पूर्व वर्ष या वर्षों के दौरान इस उपनियम के अधीन कराधेय रकम की संगणना के लिए पहले ही विचार किया गया है।

(2) उप-नियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) के अधीन संगणना के अनुसार पूंजीगत अभिलाभ को एक योजना के अधीन स्थापित साधारण शेयरोन्मुख निधि की एक इकाई के अंतरण से उद्भूत होने वाले यूनिट बीमा पॉलिसी वाली एक बीमा कंपनी का पूंजीगत अभिलाभ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट यूनिट बीमा पॉलिसी" अभिव्यक्ति का अर्थ किसी यूनिट बीमा पॉलिसी अधिनियम की धारा 2 के खंड (14) के उप-खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट है ।"।

[अधिसूचना सं. 8/2022/फा. सं. 370142/61/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.15(अ)- तारीख 14 जनवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

G.S.R. 24(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1B) of section 45, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income tax (2nd Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 8AC, the following rule shall be inserted, namely:—"8AD **Computation of capital gains for the purposes of sub-section (1B) of section 45-(**1) Where any person receives at any time during any previous year any amount under a specified unit linked insurance policy, including the amount allocated by way of bonus on such policy, then, —

(i) where the amount is received for the first time under the specified unit linked insurance policy during the previous year, the capital gains arising from receipt of such amount by such person during the previous year in which such amount is received shall be calculated in accordance with the formula:−

A-B

where, -

A= the amount received for the first time under a specified unit linked insurance policy during the previous year, including the amount allocated by way of bonus on such policy; and

B = the aggregate of the premium paid during the term of the specified unit linked insurance policy till the date of receipt of the amount as referred to in 'A';

(ii) where the amount is received under the specified unit linked insurance policy during the previous year, at any time after the receipt of the amount as referred to in clause (i), the capital gains arising from receipt of such amount by such person during the previous year in which such amount is received shall be calculated in accordance to the formula,—

C-D

where, -

C= the amount received under a specified unit linked insurance policy during the previous year, at any time after the receipt of the amount as referred to in clause (i), including the amount allocated by way of bonus on such policy excluding the amount that has already been considered for calculation of taxable amount under this sub- rule during the earlier previous year or years; and

D = the aggregate of the premium paid during the term of the specified unit linked insurance policy till the date of receipt of the amount as referred to in 'C' as reduced by the premium that has already been considered for calculation of taxable amount under this sub-rule during the earlier previous year or years.

(2) The capital gains as computed under clause (i) or clause (ii) of sub-rule (1) shall be deemed to be the capital gains arising from the transfer of a unit of an equity oriented fund set up under a scheme of an insurance company comprising unit linked insurance policies.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression "specified unit linked insurance policy" shall mean any unit linked insurance policy referred to in sub-clause (c) of clause (14) of section 2 of the Act.".

[Notification No. 8/2022/F. No. 370142/61/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 15(E), dated 14th January, 2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.18 21:30:03 +05'30'